

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनाक- 07/02/2026

विषय:- राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission on SNA SPARSH मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू0 3,49,87,00,000 /- (रूपये तीन अरब उनचास करोड़ सतासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 2,33,24,66,667 /- (रूपये दो अरब तैतीस करोड़ चौबीस लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ) मात्र सहित कुल राशि रू0 5,83,11,66,667 /- (रूपये पाँच अरब तिरासी करोड़ ग्यारह लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ) मात्र के व्यय निमित्त आवंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-7466 दिनाक-30.01.2026 के द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवंटनादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission on SNA SPARSH मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू0 3,49,87,00,000 /- (रूपये तीन अरब उनचास करोड़ सतासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 2,33,24,66,667 /- (रूपये दो अरब तैतीस करोड़ चौबीस लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ) मात्र सहित कुल राशि रू0 5,83,11,66,667 /- (रूपये पाँच अरब तिरासी करोड़ ग्यारह लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ) मात्र Virtual Allotment के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है ।

2- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से 2nd Mother Sanction द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है:-

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR						
Details of Fund receivable from Govt. of India (2025-26)						
Sl. No.	Letter no.			Amount (Central Shares-60%)	Amount (State Shares-40%)	Total
1	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under national Health Mission					
	G.27017/01/2025-26/NHM-F/FTS-8328765 dt.28.01.26	General	3601-06-101-16-06-31(GBS)	2607300000	1738200000	4345500000
			3601-06-101-16-06-35(GBS)	2897000000	1931333333	4828333333
			Total	2897000000	1931333333	4828333333

	SC	3601-06-789-80-01-31(GBS)	501100000	334066667	835166667
		3601-06-789-80-01-35(GBS)	557000000	371333333	928333333
		Total	556800000	371200000	928000000
	ST	3601-06-796-86-01-31(GBS)	403000000	268666667	671666667
		3601-06-796-86-01-35(GBS)	460000000	306666667	766666667
		Total	449000000	299333333	748333333
		Total(General+Sc+ST)	3498700000	2332466667	5831166667

3- उक्त प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2025-26 में NIIM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission on SNA SPARSH मद मे 60.40 के अनुपात मे अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू0 3,49,87,00,000/- (रूपये तीन अरब उनचास करोड सतासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 2,33,24,66,667/- (रूपये दो अरब तैतीस करोड चौबीस लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र सहित कुल राशि रू0 5,83,11,66,667/- (रूपये पाँच अरब तिरासी करोड ग्यारह लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र विभागीय राज्यादेश स0-75(7A) दिनांक-07/02/2026 के तहत उपलब्ध कराये जाने संबधी व्यय निमित आवटन प्रदान की जाती है।

4- ज्ञातव्य हो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेश के आलोक में वित्त विभाग से निर्गत पत्रांक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

5- केन्द्रांश मद- केन्द्रांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित विपत्र कोडो मे उपबधित राशि से विकलनीय होगा:-

(i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष- 0203-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031/00203, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि रू0 3,00,00,00,000/- (रूपये तीन अरब) में से रू0 1,80,00,00,000/- (रूपये एक अरब अस्सी करोड) मात्र एवं विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि रू0 6,00,00,00,000/- (रूपये छः अरब) मात्र में से रू0 1,09,70,00,000/- (रूपये एक अरब नौ करोड सतर लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(ii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210037890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित कुल राशि रू0 1,50,00,00,000/- (रूपये एक अरब पचास करोड) में से रू0 50,11,00,000/- (रूपये पचास करोड ग्यारह लाख) मात्र एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रू0 50,00,00,000/- (रूपये पचास करोड) में से रू0 5,57,00,000/- (रूपये पाँच करोड संतावन लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(iii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0202-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210037960202, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04- सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित कुल राशि रू0 25,00,00,000/- (रूपये पच्चीस करोड) में से रू0 4,03,00,000/- (रूपये चार करोड तीन लाख) मात्र एवं विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रू0 30,00,00,000/- (रूपये तीस करोड) में से रू0 46,00,000/- (रूपये छियालीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

0 योजना अंतर्गत केन्द्राश एव राज्याश नद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्राक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

10- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम
Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission (NHM) (Scheme code-4063) on SNA SPARSH	GOBHSPARSHBR48NHM	01585501172	RBI

11- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में अपने संस्थान सहित क्षेत्रीय संस्थानों से विहित प्रपत्र (BTC-42A) में संकलित कर विभाग के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

12- यह आवटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

13- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

14- राशि की निकाली राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार कार्यालय से की जायेगी।

15- राशि की निकाली के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वसमाजन,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021(खंड-02)-76 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक-07/02/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना /कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/ संबंधित सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित सभी सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि— अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अपर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम न०-331-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न०-523-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी- 07, 12/प्रशाखा के सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

76(7A)
07/02/2026


सरकार के अपर सचिव।
Hukal